



झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा-शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखण्ड सरकार

अधिसूचना सं० :- 378(MD)


दिनांक : 16.06.16

अधिसूचना

पी0सी0 एण्ड पी0एन0डी0टी अधिनियम 1994 की धाराओं में प्रदत्त शक्ति के आलोक में राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग | - | अध्यक्ष |
| 2. सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग | - | उपाध्यक्ष |
| 3. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड | - | सदस्य सचिव |
| 4. सचिव, समाज कल्याण विभाग | - | सदस्य |
| 5. सचिव, विधि विभाग | - | सदस्य |
| 6. निदेशक प्रमुख पदेन | - | सदस्य |
| 7. निदेशक आयुष पदेन | - | सदस्य |
| 8. डा0 मनोज नारायण लाल, उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ | - | सदस्य |
| 9. श्रीमती गीता कोड़ा (स0वि0स0) | - | सदस्य |
| 10. श्रीमती गंगोत्री कुजूर (स0वि0स0) | - | सदस्य |
| 11. श्रीमती बिमला प्रधान(स0वि0स0) | - | सदस्य |
| 12. श्री सतीश गिरजा, नवभारत जागृति केन्द्र | - | सदस्य |
| 13. श्री आशीष झा, अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय | - | सदस्य |
| 14. डॉ0 महुआ माजी, अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग | - | सदस्य |
| 15. राज्य कार्यक्रम समन्वयक, एन0एच0एम0 | - | सदस्य |
| 16. डॉ0 अर्चना कुमारी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, रिम्स | - | सदस्य |
| 17. डॉ0 किरण त्रिवेदी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, रिम्स | - | सदस्य |
| 18. डॉ0 सुनिता कातयायन, शिशु रोग विशेषज्ञ | - | सदस्य |
| 19. डॉ0 अजीत सहाय, शिशु रोग विशेषज्ञ | - | सदस्य |
| 20. डॉ0 पासरनाथ, सहायक प्राध्यापक, रेडियोलॉजी, रिम्स | - | सदस्य |
| 21. डॉ0 सैयद इकबाल हुसैन | - | सदस्य |
| 22. श्री अरशद हुसैन (Plan India) | - | सदस्य |

यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।



(के0 विद्यासागर)
अपर मुख्य सचिव

स्वास्थ्य चिकित्सा-शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,
झारखण्ड।

ज्ञापांक: 378 (HIN)
प्रतिलिपि:

दिनांक: 16.06.16

1. माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के आप्त सचिव/ सभी संबंधित सदस्यों /पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. सचिव समाज कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. सचिव, विधि विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. गठित राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।
5. निदेशक, जन सूचना एवं सम्पर्क विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
6. सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/ सभी प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज/ सभी अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज अस्पताल को सूचनार्थ प्रेषित।
7. सभी सिविल सर्जन, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
8. सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।
9. अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय डोरंडा, रांची को राजपत्रित गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं अनुरोध है कि इसकी दो सौ प्रतियाँ स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


(के० विद्यासागर)
अपर मुख्य सचिव

स्वास्थ्य चिकित्सा-शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,
झारखण्ड।

